भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-155

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आरक्षित पद भरना

*155. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री टी. आर. बालू:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से 2024 तक देश भर के आईआईएम और आईआईटी सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित और अनारक्षित पदों पर पदवार और विश्वविद्यालयवार नियुक्तियों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किन्हीं आरक्षित पदों को अनारक्षित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित विश्वविद्यालयवार और पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त पदों को पुन: आरक्षित श्रेणी में कब तक बहाल किए जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा आरक्षित पदों को अविलंब भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संकाय और छात्रों से संबंधित रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय की नियुक्ति में आरक्षण नियमों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (झ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री टी आर बालू द्वारा 'केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आरक्षित पद भरना' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (झ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (झ): शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अंतर्गत केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उसके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधान द्वारा वे शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थाओं के भीतर ही उनके संबंधित अधिनियमों और विनियमों के अनुसार तथा केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार भी की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

रिक्तियों का होना और उसे भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थाओं के खुलने, योजनाओं अथवा परियोजनाओं को शुरू करने तथा मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता विस्तार की वजह से अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

आईआईएम और आईआईटी के लिए आदर्श संकाय छात्र अनुपात 1:10 के रूप में परिकल्पित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा यथाअनुमोदित संकाय छात्र अनुपात का पालन करते हैं। आईआईएम और आईआईटी अत्याधुनिक शैक्षिक कार्यक्रम और विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करते हैं जो नवाचार और विवेचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देती है। अनुसंधान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमिता में अग्रणी पूर्व छात्र तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, इन संस्थानों ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनके स्नातकों की उपलब्धियां न केवल संस्थान की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करती हैं।

सरकार ने सीएचईआई में आरक्षण मानदंडों को अपनाने में एकरूपता और एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के संकाय पदों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया। इस मंत्रालय ने दिनांक 12.07.2019 की अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%

आरक्षण विनिर्दिष्ट किया। यह अधिनियम विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षिक संस्था को आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के बजाय एक संवर्ग या इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण से संबंधित कठिनाई को दूर करता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम और आईआईटी प्रासंगिक विनियमों और उनके संविधियों के अनुसार विशिष्ट संकाय/छात्र अनुपात का पालन करते हैं। आईआईटी और आईआईएम संकाय भर्ती के लिए आवर्ती विज्ञापन जारी करते हैं जो संस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए पूरे वर्ष खुले रहते हैं। आईआईटी और आईआईएम अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संकाय पदों पर फ्लेक्सी कैडर सिस्टम का पालन करते हैं, तथा संकाय सदस्यों को स्तरों या विभागों में कठोरतापूर्वक विभाजित नहीं करते हैं, जिससे प्रतिभा को पहचानने और भर्ती करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है।

गुणवत्तायुक्त संकायों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें वर्ष भर खुला विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड़ में भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रण आदि शामिल हैं। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं बहु-चरणीय एवं सुदृढ़ जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। विभिन्न संस्थाओं के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, विभिन्न स्तरों के संकाय की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्तियों आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और शैक्षिक दृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, तथा इस प्रकार पूर्ण भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

अगस्त, 2021 में, सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों के बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। सीएचईआई ने ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। सितंबर, 2022 में इस मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को एससी, एसटी और ओबीसी सहित सभी रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए प्रेरित किया था। सितंबर, 2022 से सीयू, आईआईएम और आईआईटी ने भी एससी, एसटी और ओबीसी की रिक्तियों सहित इन रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड़ में भर्ती अभियान शुरू किया है।

मई, 2014 से दिसंबर, 2024 तक, सभी सीएचईआई ने संकाय और गैर संकाय पदों पर कुल 53456 भर्तियां की हैं। मई, 2014 से मार्च, 2022 तक, इन सीएचईआई ने 26705 रिक्तियों को भरा जबकि सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2024 तक मिशन मोड़ में भर्ती अभियान के दौरान दो वर्ष की छोटी अवधि में 15637 संकाय पदों सहित कुल 26751 पदों को भरा गया। सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2024 तक मिशन मोड़ में भर्ती अभियान के दौरान सीयू, आईआईएम और

आईआईटी ने सामूहिक रूप से 18757 रिक्तियों को भरा है, जिनमें से 10857 संकाय पद हैं जिनमें 1347 एससी, 579 एसटी और 2219 ओबीसी शामिल हैं।

*****